

न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी जिला झुन्झुनूं

निर्णय मि०स०/78/2019

अ.धा. 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

सरकार

बनाम

श्री विजय सिंह पुत्र श्योनारायण जाति अहीर निवासी ढाणी जोड़ला तन् डाडा फतेहपुरा।

निर्णय दिनांक:-28 अगस्त 2019

पत्रावली पेश हुई। आवाज पर कोई हाजीर नहीं। आगे पत्रावली का अवलोकन किया तो जाहिर हुआ है, कि पटवारी हल्का डाडा फतेहपुरा के द्वारा इस आशय की रिपोर्ट पेश कि गई है की ग्राम डाडा फतेहपुरा स्थित मन्दिर भूमि ख.न. 2371/371 किस्म गै०मु०रास्ता के रकबा 004 है० मे पत्थर डालकर रास्ता बाधित कर श्री विजय सिंह पुत्र श्योनारायण जाति अहीर निवासी ढाणी जोड़ला तन् डाडा फतेहपुरा के द्वारा अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर लिया है।


मुताबिक रिपोर्ट पटवारी प्रकरण दर्ज कर अतिक्रमी के नाम सबूत एवं सुनवाई हेतु राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। जारी नोटिस के जवाब मे गैर सायल ने जाहिर किया है कि उक्त रास्ते की भूमि मे कई व्यक्तियों के द्वारा अतिक्रमण किया हुआ है। तथा पास मे शिवजी का मन्दिर व श्मशान भूमि है, जिसमे इसी रास्ते से होकर जाते है। उक्त रास्ते की भूमि का सीमाज्ञान कर मुताबिक रिकार्ड खुलाया जावे। भूमि उसकी खातेदारी भूमि से सटती हुई है। गैर सायल के जवाब से हम सहमत नहीं है। आज कोई हाजीर नहीं। उसकी और से अन्य भी कोई हाजीर नहीं। कोई सबूत आदि भी प्राप्त नहीं हुआ है। इस प्रकार गैर सायल की अदम हाजरी मे एकतरफा कार्यवाही के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है।

चूँकि भूमि की किस्म राजस्थान सरकार की खातेदारी मे गै०मु० रास्ता दर्ज है। जो कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत अन्य प्रयोजनार्थ वर्जित है। जिसमे गैर सायल अतिक्रमी की हैसीयत से काबिज है।

अतः गैर सायल की अदम हाजरी मे एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई जाकर मुताबिक रिपोर्ट पटवारी प्रश्नगत भूमि पर अतिक्रमी घोषित किया जाकर बेदखल किया जाता है। तथा शरह लगान 01 रूपये का 50 गुणा = 50 रूपये तावान कायम एवं वसूल का आदेश दिया जाता है। टी.आर.ए. एवं पटवारी हल्का को वसूली हेतु मांग कायमी करवाई जावे। तथा भू अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी हल्का के नाम भौतिक मौका बेदखली हेतु आदेश जारी हो।

पत्रावली फ़ैसल-सुमार होकर नम्बर से कम हो, तथा बाद तकमील जाप्ता दाखील दप्तर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।


तहसीलदार खेतड़ी
जिला झुन्झुनूं (राज.)